न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जोधपुर

पीठासीन अधिकारीः– हनुमानसिंह राठौड़, आर.ए.एस.
राजस्व प्रार्थना–पत्र संख्याः– 03/2018
प्रार्थीः–

रूघनाथराम पुत्र श्री गोकलराम, जाति–जाट, हाल निवासी– मोकलावास तहसील व जिला जोधपुर।

बनाम

अप्रार्थीगणः–

1. गुलाबपुरी पुत्र श्री शंकरपुरी, जाति–गुसाई, निवासी– चौखा तहसील व जिला जोधपुर।
2. सुल्तानसिंह पुत्र श्री धनसिंह,
3. रामसिंह पुत्र स्व. श्री प्रतापसिंह,
4. गजेन्द्रसिंह पुत्र स्व. श्री प्रतापसिंह,
5. देवीसिंह पुत्र स्व. श्री प्रतापसिंह,
6. भंवर कवंर पुत्री स्व. श्री प्रतापसिंह,
7. केशा कवंर पुत्री स्व. श्री प्रतापसिंह,
8. गंगाकवंर पत्नी स्व. श्री प्रतापसिंह,
9. तखतसिंह पुत्र स्व. श्री डूंगरसिंह,
10. भगतसिंह पुत्र स्व. श्री डूंगरसिंह,
11. मनोहरसिंह पुत्र स्व. श्री डूंगरसिंह,
12. हमीरसिंह पुत्र स्व. श्री डूंगरसिंह,
13. कल्याण कवंर पत्नी स्व. श्री डूंगरसिंह,
14. रामुकवंर पुत्री स्व. श्री डूंगरसिंह,
15. सुगनकवंर पुत्री स्व. श्री डूंगरसिंह,
16. सन्तोष कवंर पुत्री स्व. श्री डूंगरसिंह,

अप्रार्थी संख्या 14 से 16 नाबालिग जरिये कुदरती वली/प्राकृतिक संरक्षक माता कल्याण कवंर पत्नी स्व. श्री डूंगरसिंह

17. मांगुसिंह पुत्र स्व. श्री हरीसिंह,
18. राजुसिंह पुत्र स्व. श्री हरीसिंह,
19. कचंन कवंर पुत्री स्व. श्री हरीसिंह,
20. रसाल कवंर पुत्री स्व. श्री हरीसिंह,
21. मदन कवंर पुत्री स्व. श्री हरीसिंह,
22. पुष्प कवंर पुत्री स्व. श्री हरीसिंह,
23. सरूपकवंर पुत्री स्व. श्री हरीसिंह,
24. गुड्डी कवंर पुत्री स्व. श्री हरीसिंह,
25. उगम कवंर पत्नी स्व. श्री हरीसिंह,
26. मनोहरसिंह पुत्र श्री कल्याणसिंह,
27. मूलसिंह पुत्र श्री कल्याणसिंह,

उपखण्ड अधिकारी
जोधपुर

Scanned by CamScanner

28. प्रेमसिंह पुत्र श्री कल्याणसिंह,
29. छगन कवंर बेवा जोरसिंह,
30. मनीषा कवंर पुत्री श्री जोरसिंह,
    अप्रार्थी संख्या 30 नाबालिग जरिये कुदरती वली/प्राकृतिक संरक्षक माता छगन कवंर बेवा जोरसिंह, सभी जातियान–राजपूत (चौहान), निवासीयान– गांव मोकलावास तहसील व जिला जोधपुर।
31. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार जोधपुर जिला जोधपुर।

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251 (A) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

आदेश दिनांकः–

उपस्थितिः– श्री दयाराम चौधरी, अधिवक्ता प्रार्थी।

श्री सुरेश परिहार, अधिवक्ता अप्रार्थीगण संख्या 1,की ओर से।

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251 (A) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया गया है। जिसके तथ्य सक्षेंप मे इस प्रकार से है कि प्रार्थी की खातेदारी कब्जा काश्त की कृषि भूमि वाके ग्राम मोकलावास पटवार क्षेत्र रोहिला कलां भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र बागा तहसील व जिला जोधपुर के खसरा नम्बर 187 में रकबा 33 बीघा 07 बिस्वा किस्म बारानी प्रथम की आई हुई है जिसका इन्द्राज राजस्व रिकॉर्ड की जमाबंदी में प्रार्थी के नाम से है। प्रार्थी के उक्त खसरा की भूमि के पास ही अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 235 रकबा 09 बीघा 05 बिस्वा व खसरा नम्बर 236 रकबा 05 बीघा 05 बिस्वा आई हुई है। इसी प्रकार अप्रार्थी संख्या 02 से 30 की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 232 में रकबा 58 बीघा 14 बिस्वा किस्म बारानी–द्वितीय की आई हुई है जिस भूमि पर अप्रार्थीगण भी काबिज काश्त है। प्रार्थी की उक्त खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 187 पर काश्त की जाती है तथा उक्त भूमि पर कुआ खुदा हुआ है साथ ही साथ रहवासीय ढाणी भी बनी हुई है। लेकिन प्रार्थी व उसके काश्तकारों के उक्त खसरा की भूमि में आने–जाने हेतु कोई सुगम रास्ता उपलब्ध नहीं है तथा जो रास्ता अप्रार्थीगण के खेत खसरा संख्या 236 में से निकलता है वह रास्ता प्रार्थी की भूमि के अत्यन्त ही दूरी पर स्थित है जिस कारण से प्रार्थी को अपनी भूमि में काश्त करने आने–जाने व ट्रेक्टर इत्यादि साधन लाने–ले जो व काश्तकारों इत्यादि के आने–जाने में भारी परेशानी हो रही है, यही नही प्रार्थी तथा काश्तकारो के बच्चो को स्कुल पढने जाने में भी रास्ते के अभाव में उन्हें ही बहुत ही लम्बा चक्कर लगाकर निकलना पड़ता है। इसके अलावा प्रार्थी को अपने उक्त खसरा की भूमि में कुंए पर खाद–बीज इत्यादि लाने हेतु लम्बा चक्कर लगाना पड़ता है। इसलिए प्रार्थी को उसके खेत में

उपखण्ड अधिकारी
जोधपुर

Scanned by CamScanner

आने–जाने हेतु अप्रार्थी संख्या–1 के खेत खसरा नम्बर 236 में से निकालने वाली रोड़ से उक्त खसरा की भूमि में उत्तर दिशा की माठ से पश्चिम दिशा की तरफ माठ के सहारे–सहारे होते हुए अप्रार्थी संख्या 1 के खसरा नम्बर 235 की उत्तर दिशा की माठ के सहारे–सहारे होते हुए अप्रार्थी संख्या 02 से 30 के खेत खसरा नम्बर 232 की दक्षिण दिशा की माठ के सहारे–सहारे होते हुए प्रार्थी के उक्त खसरा नम्बर 187 की भूमि में प्रवेश करता है वह उपलब्ध कराया जाना आवश्यक है।

अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से उपरोक्त प्रार्थना पत्र का जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया जो इस प्रकार है कि अप्रार्थी संख्या 1 उत्तरदाता के खेत के दक्षिणी माठ से रास्ता प्रार्थी के भूमि में आने–जाने के लिए पहले से ही उपलब्ध है जिसे प्रार्थी स्वंय स्वीकार करता है वह कतई दूर अथवा असुगम रास्ता नहीं है। जबकि धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानो के तहत यदि किसी काश्तकार के पास उसके खातेदारी भूमि वाले क्षेत्र में कोई रास्ता उपलब्ध न हो तो कोई रास्ता उपलब्ध कराने पर विचार किया जा सकता है। लेकिन स्वंय प्रार्थी अनुसार उसकी भूमि के पास वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध है ऐसी स्थिति में उक्त अधिनियम के प्रावधानों के तहत प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है। इसके अलावा भी हस्तगत प्रकरण में पटवारी हल्का द्वारा मौके पर जाकर इसकी रिपोर्ट बनाकर पेश की गयी है जिसमें भी प्रार्थी के खसरा नम्बर 187 की भूमि के पास आने–जाने हेतु सुगम रास्ता पहले से ही उपलब्ध है। इन तमाम के अलावा भी उक्त क्षेत्र का सेटलाईट मैप भी प्राप्त किया गया है जिसकी प्रति श्रीमान्जी के अवलोकनार्थ इस जवाब के साथ पेश है जिसमें भी स्पष्ट रूप से प्रार्थी की भूमि खसरा नम्बर 187 में आने–जाने वाहन लाने–ले–जाने, खाद बीज लाने ले जाने, बच्चो के स्कुल जाने इत्यादि हेतु मौके पर रास्ता होना स्पष्टतया प्रकट है। प्रार्थी व उसका परिवार उक्त उपलब्ध रास्ते को अपने खेत–ढाणियों में आने–जाने हेतु सुगमतापूर्वक उपयोग व उपभोग भी करते आ रहे है। लेकिन प्रार्थी की नियत में खोट आ गयी है और वह मनमाने तरीके से उत्तरदाता व अन्यों की भूमि में से रास्ता निकालना चाहता है जिसकी कि उक्त परिस्थितियों से कतई अनुमति नहीं दी जा सकती है। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी/उत्तरदाता को इस सम्बधं में कभी नहीं कहा गया, अलबत्ता भी जब पहले से ही रास्ता उपलब्ध है तो उत्तरदाता की भूमि में से कतई नये रास्ते का प्रार्थी के चाहने मात्र से सृजन नहीं किया जा सकता है।

उपखण्ड अधिकारी
जोधपुर

Scanned by CamScanner

तहसीलदार जोधपुर की ओर से जवाब व रिपोर्ट प्रस्तुत की गई जो इस प्रकार से है कि मा. न्यायालय कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जोधपुर के राजस्व विविध प्रार्थना पत्र संख्या 03/2018 रूघनाथराम बनाम गुलाबपुरी वगैरा अन्तर्गत धारा 251 (A) आर.टी.एक्ट के सम्बंध में ग्राम मोकलावास के खसरा सं. 187 तक आने जाने हेतु रास्ते की मौका एवं वस्तु स्थिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु आदेशित किया गया। उक्त आदेशान की पालना में ग्राम मौकलावास के खसरा नं. 187 तक आने जाने हेतु रास्ते की भूमि हेतु मौका निरीक्षण किया गया। मौके की स्थिति निम्न नजरी नक्शा अनुसार पाई गई :–

उक्त नजरी नक्शा में दर्ज बिन्दु सं. एफजी मौके पर डामर सडक है जो ग्राम मौकलावास को रोहिता खुर्द से जोड़ती है। बिन्दु सं. A से B तक जो नजरी नक्शा में दर्शाया गया है वह मौके पर करीमी रास्ता है व ग्रेवल से बना हुआ है। नजरी नक्शा में दर्ज बिन्दु सं. E से D तक मौके पर रास्ते के निशानात पाये गये। बिन्दु सं. A से B व C होते हुए डी तक रास्ता किया जाना उचित हैं। जहॉ पर प्रार्थी ने रास्ते की भूमि चाही गई है वह नजरी नक्शें में दर्शाये गये बिन्दु सं. E पर मौके पर दिवार निकली हुई हैं। व प्रार्थी ने ख. नं. 235 व 236 के उत्तर की तरफ मांढ के किनारे किनारे रास्ता चाहा है जो मौके पर वर्तमान में रास्ता नहीं पाया गया। जबकि प्रार्थी द्वारा ख.नं. 232 के दक्षिणी किनारे दिवारे होते हुए रास्ता चाहा है जो मौके पर रास्ते के निशानात के रूप में मौजूद है जो नजरी नक्शे मे बिन्दु सं. E से D तक दर्शाया हुआ है। ख.नं. 235 व 236 के खातेदार ने मौके पर बताया कि उसके ख नं. 236 के बीच में से पहले से ही डामर सड़क निकाल दी गई व 2–05 बीघा भूमि गे. मु. सड़क (PWD) के नाम दर्ज कर दी गई थी व इन्ही खसरान् के दक्षिणी किनारे से होता हुआ कदीमी रास्ता आगे के खसरान के खातेदारों के द्वारा आने जाने हेतु काम में लिया जाता हैं। और अब प्रार्थी द्वारा मेरे इन खसरान् की उत्तरी मांठ के सहारे किनारे पर और रास्ता चाहा है वहॉ रास्ता दिया जाता हैं तो खेत में तीन रास्ते होने से उसकी जमीन को अत्यधिक नुकसान होगा इसलिये वर्तमान में इन खसरान के दक्षिणी किनारे पर चल रहे कदीमी रास्ता को रास्ते के रूप में दिये जाने हेतु निवेदन किया। नजरी नक्शे में बिन्दु सं. A से B व C होते हुए डी तक पहुॅचने तक खं. नं. 236,235,234 व 232 के खातेदारो की भूमि आती है। उक्त खसरा नं. 236,235,234 व 232 के खातेदारों के विवरण हेतु जमाबंदी की प्रतिलिपि संलग्न हैं। रिपोर्ट श्रीमान्जी की सेवा में सादर पेश है।

दोनों पक्षकारान् अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया गया व प्रार्थी के प्रार्थना पत्र व अप्रार्थी संख्या 1 के जवाब प्रार्थना पत्र व तहसीलदार जोधपुर द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया गया मौका रिपोर्ट अनुसार खसरा नं. 232 के दक्षिणी के किनारे किनारे होते हुए रास्ता चाहा हैं, जो मौके पर रास्ते के निशानात के रूप में मौजुद हैं। नजरी नक्शें में

उपखण्ड अधिकारी
जोधपुर

Scanned by CamScanner

बिन्दु ई से डी तक दर्शाया गया, प्रार्थी द्वारा खसरा नम्बर 232 से 235 के दोनों किनारे बिन्दु के ए बी व सी से होकर रास्ता चाहा हैं। अप्रार्थीगण के मध्य यदि इस प्रकार खसरा नं. 235 के दोनों किनारों से रास्ता दिया जाता हैं तो उसकी जमीन को अत्यधिक नुकसान होगा। न्यायालय अप्रार्थी से इस कथन से सहमत है, क्योंकि अधिनियम के तहत स्पष्ट प्रावधान है कि रास्ते का सृजन तभी दिया जा सकता है जब किसी काश्तकार के पास उसकी भूमि पर जाने के लिए रास्ता उपलब्ध नही हों रास्ता केवल मात्र नितांत आवश्यकता के आधार पर ही दिया जा सकता हैं इसके अतिरिक्त रास्ता निकटतम दुरी से दिया जा सकता हैं। वर्तमान में चाहा गया रास्ता ए बी सी होने बी व ई तक स्थित रास्ते में मिलान करना अधिक दुरी हैं।

अतः उपरोक्त तथ्यो के विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए में चाहे गये रास्ता स्वीकार योग्य नहीं होने के आधार पर अस्वीकार किया जाकर प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता हैं।

हनुमानसिंह राठौड़ (आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
जोधपुर उपखण्ड अधिकारी जोधपुर

आदेश आज दिनांक 6/1/2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

हनुमानसिंह राठौड़ (आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
जोधपुर उपखण्ड अधिकारी जोधपुर

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Hanuman Singh Rathore
Date: 2020.01.13 15:30:38 IST
Reason: SelfAttested
Location: